

मांग संख्या 01  
मुख्य शीर्ष 2052

**मद क्रमांक 1**

मध्यलोक वाशी नवी मुम्बई में मध्यलोक राज्य अतिथि गृह के निर्माण के लिये सिडकों को लोज रेंट एवं प्रीमियम भुगतान हेतु प्रथमतः 2 वर्षों के लिये रुपये 41,97,100 का भुगतान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 41,97,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2053

**मद क्रमांक 2**

उपाध्यक्ष 20 सूतीय कार्यक्रम के लिये वाहन क्रय हेतु रुपये 7.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

लोक सेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना हेतु फर्नीचर आदि की व्यवस्था पर रुपये 600.00 लाख का व्यय वर्ष के दौरान संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

**मद क्रमांक 4**

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों म.प्र. भोपाल के प्रशासकीय भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु वर्ष के दौरान राशि रुपये 189.49 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,89,49,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 02

मुख्य शीर्ष 2070

**मद क्रमांक 1**

अध्यक्ष विशेष जांच आयोग के लिये वर्ष के दौरान अवकाश याता सुविधा हेतु रुपये 1.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 03

मुख्य शीर्ष 2055

**मद क्रमांक 1**

पुलिस बल को अपनी विविध गतिविधियों के संचालन हेतु वाहनों की आवश्यकता होती है। पुलिस बल को विगत वर्षों में अपलेखित हुये वाहनों के प्रतिस्थापन के लिये वर्ष के दौरान रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

नक्सल प्रभावित क्षेत्र से संबंधित विशेष अधोसंचना योजना हेतु वर्ष के दौरान लघु निर्माण कार्यों हेतु राशि रुपये 74.73 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 74,73,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4055

**मद क्रमांक 3**

होशंगाबाद संभाग के महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक उप पुलिस अधीक्षक के कार्यालय एवं आवास भवन आदि के निर्माण पर वर्ष

के दौरान रुपये 556.36 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,56,36,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 4**

नक्सल प्रभावित क्षेत्र से संबंधित विशेष अधोसंरचना योजना हेतु वर्ष के दौरान सड़क निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 520.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 5**

नक्सल प्रभावित क्षेत्र से संबंधित विशेष अधोसंरचना योजना हेतु वर्ष के दौरान विविध निर्माण किये जाने हेतु राशि रुपये 333.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,33,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 6**

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस थानों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष के दौरान रुपये 1.00 करोड़ केन्द्रांश एवं 20.00 लाख राज्यांश की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	04
मुख्य शीर्ष	2070

#### **मद क्रमांक 1 - 2**

नागरिक सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण के विज्ञापन एवं प्रचार तथा मशीने हेतु क्रमशः राशि रुपये 5.84 लाख एवं रुपये 13.75 लाख इस तरह कुल राशि रुपये 19.59 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 19,59,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	05
मुख्य शीर्ष	2056

#### **मद क्रमांक 1**

महानिदेशक जेल कार्यालय अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन हेतु इस वर्ष के दौरान एक वाहन लागत रुपये 6.00 लाख से क्रय किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4059
-------------	------

#### **मद क्रमांक 2**

इंदौर में केन्द्रीय जेल के निर्माण पर हुये व्यय के भुगतान हेतु वर्ष के दौरान रुपये 964.52 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,64,52,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	07
मुख्य शीर्ष	2030

#### **मद क्रमांक 1**

म.प्र. उपकर अधिनियम, 1982 के अंतर्गत भूमि के अंतरण पर प्राप्त उपकर को ग्रामीण विकास निधि में अंतरण हेतु रुपये 37,79,95,600 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 37,79,95,600 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

म.प्र. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत लगाये गये अतिरिक्त शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को म.प्र. पंचायत भू-राजस्व तथा स्टाम्प शुल्क निधि में अंतरण हेतु रुपये 6042.39 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,42,39,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2039

**मद क्रमांक 3**

आबकारी विभाग के अन्तर्गत सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिये परीक्षा मद में रुपये 13,00,000 का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 08  
मुख्य शीर्ष 2029

**मद क्रमांक 1**

भू-अभिलेख जिला प्रशासन स्तरों में सुधार की योजना अंतर्गत प्रत्येक जिले में दो-दो डी.जी.पी.एस. तथा प्रत्येक तहसील में दो-दो इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन (ई.टी.एस.) प्रदाय करने हेतु रुपये 1.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत भू-अभिलेख का अद्यतीकरण एन.एल.आर.एम.पी. के सर्वे/रिसर्वे कार्य तथा आधुनिक अभिलेखागारों की स्थापना हेतु केन्द्रांश राशि रुपये 580.50 लाख तथा राज्यांश राशि रुपये 8,81,17,600 कुल राशि रुपये 14,61,67,600 का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,61,67,600 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना के लिये भारत सरकार द्वारा राशि रुपये 126.50 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,26,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

**मद क्रमांक 4 - 12**

राजस्व बोर्ड के अन्तर्गत चिकित्सा व्यय, ग्रेड-पे, याता भत्ता, दूरभाष व्यय बिजली एवं जल प्रभार, अन्य आकस्मिक व्यय परिवहन व्यवस्था के लिए वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय रुपये 9.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 10  
मुख्य शीर्ष 2406

**मद क्रमांक 1 - 4**

क्षेत्रीय बनमंडल के स्थापना संबंधी व्यय के कारण वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं ग्रेड-पे में वित्तीय वर्ष 2011-12 में रुपये 4.00 लाख का व्यय संभावित है। उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति विभागीय बजट की बचत से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

माननीय न्यायालयों के द्वारा निर्णय पारित किये जाने के कारण आकस्मिकता निधि से रुपये 20.00 लाख स्वीकृत किये गये हैं, तथा अतिरिक्त राशि

रुपये 5.00 लाख को शामिल करते हुये कुल राशि रुपये 25.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति अतिरिक्त व्यय हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4406

#### **मद क्रमांक 6**

सौर ऊर्जा से बिजली की उपलब्धता के अंतर्गत रुपये 8.00 करोड़ का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया था।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	11
मुख्य शीर्ष	2851

#### **मद क्रमांक 1**

बीमार उद्योगों के पुनर्जीवन योजना के अंतर्गत विद्युत बिलों के लंबित देयकों के भुगतान हेतु राशि रुपये 17.14 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,14,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 2**

जिला उद्योग केन्द्र के लिये चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 2.02 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,02,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4851

#### **मद क्रमांक 3**

आटो टेस्टिंग ट्रेक हेतु भू-अर्जन मुआवजा के लिये राशि रुपये 38,97,98,400 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। यह प्रावधान नवीन मद के रूप में शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 38,97,98,400 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6860

#### **मद क्रमांक 4**

डी.एम.आई.सी. परियोजना हेतु ट्रायफेक को भू-अर्जन मुआवजा ऋण हेतु अनुमानित लागत रुपये 1820.00 लाख है, इस राशि की व्यवस्था विभाग उपलब्ध बजट की बचत से करेगा। यह कार्य नवीन मद के रूप में सम्मिलित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	12
मुख्य शीर्ष	2801

#### **मद क्रमांक 1**

विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा कर्तिपय पात्र उपभोक्ताओं को प्रदाय की जा रही निःशुल्क विद्युत प्रदाय की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 8200.00 लाख की राशि विद्युत वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराई जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 82,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 2**

गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली की व्हीलिंग हेतु म.प्र. राज्य विद्युत मंडल/उत्तरवर्तीय कंपनियों को रुपये 600.00 लाख की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराई जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

कृषकों के नवीन विद्युत कनेक्शन योजना अंतर्गत रुपये 10100.00 लाख की राशि म.प्र. विद्युत मंडल /उत्तरवर्तीय कंपनियों को उपलब्ध कराई जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 101,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

**मद क्रमांक 4**

विद्युत वितरण कंपनियों के लिये रुपये 600.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि कार्यशील पूँजी हेतु अल्पावधि ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

विद्युत वितरण कंपनियों के दिनांक 31-03-2011 तक के पूँजीगत एवं कार्यशील पूँजी ऋण एवं ब्याज का सतत ऋण में परिवर्तित किये जाने हेतु रुपये 1025693.40 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,02,56,93,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा एकत्रित विद्युत शुल्क तथा उपकर की राशि को सतत ऋण में परिवर्तित किये जाने हेतु रुपये 130017.31 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,00,17,31,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

एम.पी. पावर ट्रेडिंग कंपनी की सरदार सरोवर परियोजना के विद्युत देयकों की देनदारियों को सतत ऋण के रूप में परिवर्तित किये जाने हेतु रुपये 45428.80 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,54,28,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल द्वारा नौगांव एवं मनासा ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति को गारंटीड ऋणों की शेष राशियों का भुगतान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को किये जाने हेतु रुपये 336.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,36,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9**

कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था हेतु ए.डी.बी. द्वारा ऋण क्रमांक 2764 आई.एन.डी. अंतर्गत राशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 2011-12 हेतु भारत सरकार द्वारा रुपये 10381.71 लाख की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। इस हेतु रुपये 1000 का टोकन प्रावधान करते हुये शेष राशि पुनर्विनियोजन के माध्यम से उपलब्ध कराई जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 13  
मुख्य शीर्ष 2401

**मद क्रमांक 1**

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश, भोपाल के अंतर्गत खाद एवं ऊर्वरक की व्यवस्था हेतु पूँजी पर ब्याज हेतु राशि रुपये 3163.54 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 31,63,54,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत प्रदेश के किसानों की फसलों पर हुई क्षति के दावों के भुगतान हेतु राशि रुपये 6500.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 65,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	14
मुख्य शीर्ष	2403

**मद क्रमांक 1 - 2**

पशु तथा भैंस विकास एवं गहन पशु विकास परियोजना हेतु रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

पशु तथा भैंस विकास एवं गोसदन हेतु रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4 - 6**

पशु चिकित्सा सेवायें एवं पशु स्वास्थ्य तथा पशु चिकित्सालय एवं औषधालयों के सुटूँड़ीकरण हेतु रुपये 1853.75 लाख की आवश्यकता है। जिसमें राज्यांश की राशि रुपये 462.50 लाख है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,53,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

ग्रामीण परिवेश में मुक्त परिसर अंतर्गत कुकुट पालन परिक्षेत्र हेतु राशि रुपये 8.04 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,04,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8 - 14**

महत्वपूर्ण पशु रोगों की विधिवत रोकथाम हेतु राशि रुपये 497.30 लाख की आवश्यकता है। जिसमें राज्यांश रुपये 116.57 लाख है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,97,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 15**

डेयरी संचालन विकास और विस्तार गतिविधियों हेतु रुपये 1324.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,24,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	15
मुख्य शीर्ष	2215

**मद क्रमांक 1**

भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत विमुक्त की गई राशि से समतुल्य राज्यांश का व्यय किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संधारण हेतु केन्द्रांश के रूप में रुपये 17.95 लाख एवं राज्यांश के रूप में रुपये 17.95 लाख इस प्रकार कुल रुपये 35.90 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,90,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	16
-------------	----

**मद क्रमांक 1 - 2**

मछुआ कल्याण बोर्ड का गठन के अनुक्रम में वेतन भत्तों एवं कार्यालय व्यय की मद में रुपये 2.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3 - 4**

पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर को मीन शिक्षा प्रारंभ करने हेतु रुपये 2.00 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	17
मुख्य शीर्ष	2425

**मद क्रमांक 1**

बैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा के क्रियान्वयन हेतु शासकीय प्रतिभूति पर कालातीत बकाया ऋणों का कमिटेड लायबिलीटीज के अंतर्गत भुगतान के लिये रुपये 58,12,19,000, तीन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों ग्वालियर, रीवा एवं मंडला को बैंकिंग लायसेंस हेतु रुपये 65,00,00,000 तथा पैक्स विशनबाड़ी जिला गुना को सहायता हेतु रुपये 1,27,964 इस प्रकार कुल राशि 1,23,13,46,964 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,23,13,47,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

एकीकृत सहकारी विकास परियोजना अंतर्गत अनुदान हेतु रुपये 3.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4425
-------------	------

**मद क्रमांक 3**

एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत धनवेष्टन हेतु रुपये 7.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	18
मुख्य शीर्ष	2210

**मद क्रमांक 1 - 9**

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के अंतर्गत राज्य बीमा अस्पताल हेतु वेतन, महंगाई भत्ता, ग्रेड पे, यात्रा भत्ता दौरे आदि पर, बिजली एवं जल, वर्दियां, किराया महसूल कर, दरवाईयों का क्रय हेतु राशि रुपये 12.00 करोड़ का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया था। वर्ष के दौरान इन मदों में आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम को शामिल करते हुये कुल राशि रुपये 1425.81 लाख का व्यय संभावित है। वेतन भत्तों के लिये आधिक्य की पूर्ति मांग संख्या -06 मुख्य शीर्ष 2070 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 14,25,81,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 10 - 13**

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के अंतर्गत प्रशासन हेतु दूरभाष व्यय, पेट्रोल तेल आदि, वाहन अनुरक्षण एवं मटेरियल का क्रय हेतु वर्ष के दौरान राशि रुपये 1.10 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 14 - 19**

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के अंतर्गत राज्य बीमा अस्पताल हेतु वेतन, महंगाई भत्ता, ग्रेड पे, बिजली एवं जल, दरवाईयों का क्रय एवं अन्य प्रभार हेतु राशि रुपये 222.92 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। वेतन भत्तों के आधिक्य की पूर्ति मांग संख्या-06 मुख्य शीर्ष 2070 से इतनी ही राशि

समर्पित कर की जावेगी ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,22,92,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2230

### **मद क्रमांक 20 - 25**

श्रमायुक्त कार्यालय हेतु अन्य भत्ते, महंगाई भत्ता, वाहन भत्ता, मकान किराया भत्ता, ग्रेड-पे एवं याता भत्ता दौरे आदि हेतु रुपये 8.02 लाख की वर्ष के दौरान अतिरिक्त आवश्यकता है । वेतन, भत्तों के आधिक्य की पूर्ति मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,02,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

### **मद क्रमांक 26**

औद्योगिक न्यायालय के माननीय अध्यक्ष महोदय के लिये नवीन वाहन क्रय किये जाने हेतु रुपये 6.00 लाख की आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

### **मद क्रमांक 27 - 32**

श्रम कानूनों के क्रियान्वयन हेतु लेखन सामग्री, पेट्रोल तेल एवं परिवहन व्यवस्था एवं किराया, महसूल, स्थानीय कर मदों के लिये वर्ष के दौरान राशि रुपये 77.77 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है । वेतन, भत्तों के आधिक्य की पूर्ति मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 77,77,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

### **मद क्रमांक 33**

श्रमायुक्त के अंतर्गत औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में ग्रेड-पे, हेतु वर्ष के दौरान राशि रुपये 2.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है । व्यय की पूर्ति मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या	19
मुख्य शीर्ष	2210

### **मद क्रमांक 1**

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु जिला कार्यालयों के लिये कम्प्यूटर क्रय करने हेतु राशि रुपये 11.75 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है । व्यय की पूर्ति विभाग बजट की बचत से करेगा ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4210

### **मद क्रमांक 2**

औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भवन के प्रथम तल के निर्माण में राशि रुपये 35.00 लाख के व्यय की संभावना है । समतुल्य राशि विभाग द्वारा मुख्य शीर्ष 2210 से समर्पित की जावेगी ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 35,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या	20
मुख्य शीर्ष	2215

### **मद क्रमांक 1**

स्थानीय संस्थाओं के जल-प्रदाय योजनाओं के संधारण पर रुपये 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4215

**मद क्रमांक 2**

केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत सहायक गतिविधियां में रुपये 1682.90 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,82,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत जल गुणवत्ता से संबंधित कार्य पर रुपये 75.44 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,44,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	22
मुख्य शीर्ष	2217

**मद क्रमांक 1**

नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय अंतर्गत परीक्षा एवं प्रशिक्षण मद में रुपये 6.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

इंदौर शहर में विश्व बैंक सहायत स्टेनेकल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु वर्ल्ड बैंक एवं म.प्र. शासन के मध्य हुये अनुबंध के तहत राज्यांश का प्रावधान किया जाना है। इस हेतु राशि रुपये 21.58 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,58,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	23
मुख्य शीर्ष	2700

**मद क्रमांक 1**

बेतवा नदी परिषद झासी को म.प्र. के हिस्से में अंशदान हेतु राज्य के आकस्मिकता निधि से रुपये 200.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4700
-------------	------

**मद क्रमांक 2**

सम्राट अशोक सागर परियोजना अंतर्गत नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य पर राशि रुपये 4300.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 43,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

पेंच व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य पर रुपये 3500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4701
-------------	------

**मद क्रमांक 4**

अपर ककेटो बांध परियोजना अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य पर रुपये 5500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 55,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4711
-------------	------

**मद क्रमांक 5**

सीहोर जिले की बाढ़ नियंत्रण योजना नारायणपुरा घाट ( चम्हारी घाट ) एवं विदिशा जिले के ग्राम दीपनाखेड़ा की नदी पर घाट निर्माण के अंतर्गत

रुपये 229.14 लाख का व्यय होना संभावित है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	24
मुख्य शीर्ष	3054

### मद क्रमांक 1

निष्पादन योजनान्तर्गत 11 नवीन वाहन रुपये 40.00 लाख की लागत से क्रय किये जाना है।

अतः उक्त प्रयोजनार्थ राशि रुपये 40.00 लाख के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	5054
-------------	------

### मद क्रमांक 2

प्रदेश के अंतर्गत निम्नांकित नवीन वृहद पुलों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी:-

क्र. जिला	कार्य का नाम	लागत (लाख में)	अनुदान की राशि (रुपये में)
1. छिंदवाड़ा	चरई दरबई के बीच पुल निर्माण	400.00	100
2. शहडोल	वर्तमान में प्रस्तावित लेदरा से खैरी मार्ग पर पुल निर्माण के स्थान पर खैरबना से ग्राम खैरी मार्ग पर पुल निर्माण	150.00	100
3. सीहोर	टिमरन नदी पर रपटे के स्थान पर पुल निर्माण	75.00	100
4. सीहोर	आवंली घाट में नर्मदा नदी पर पुल निर्माण	500.00	100
5. सीहोर	दीपाखेड़ा में टिमरन नदी पर पुल निर्माण एवं बाया मार्ग पर सी.सी. रोड निर्माण	226.21	100
6. सीहोर	सत्तामऊ से नीमखेड़ी के रास्ते पर एवं सत्तामऊ से खोहा मार्ग पर पुलिया निर्माण	154.92	100
7. सीहोर	सीहोर में ग्राम कोडरी में पार्वती नदी पर पुल निर्माण	500.00	100
8. होशंगाबाद	पिपरिया-पचमढ़ी मार्ग के मध्य देनवा नदी में पुल निर्माण	80.00	100
9. मुरैना	अटारी घाट चंबल नदी पर पुल निर्माण	5181.79	100
10. देवास	सोनकच्छ में आर्शिवाद अस्पताल से चांदा खेड़ी मार्ग के कि.मी. 1/8, 9/8, 14/2 एवं कि.मी. 17/6 में पुलों का निर्माण	720.00	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित) के अंतर्गत निम्नानुसार नवीन सड़कों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है:-

क्र. जिला	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी.)	लागत (लाख में)	अनुदान की राशि (रुपये में)
1. छिंदवाड़ा	देवरानी बाई घाट तक पहुंच मार्ग	1.50	100.00	100
2. छिंदवाड़ा	ग्राम माहुल द्विर से ग्राम अनहोनी तक मार्ग निर्माण	4.00	200.00	100

3. छिंदवाड़ा	जिलेहारी घाट मार्ग निर्माण	7.00	200.00	100
4. भोपाल	इंदौर भोपाल मुक्य मार्ग से बैरागढ़ कला तक सड़क निर्माण	2.00	100.00	100
5. होशंगाबाद	सतरसता से पानी की टंकी तक 4-लेन चौड़ीकरण	1.50	150.00	100
6. जबलपुर	गांव तेमर बीटा से सुखलालपुर मार्ग	2.80	250.00	100
7. बालाधाट	कोपे से खेरटोला-पुजारी टोला-नहर टोला-कटंगझिरी सांवंगी मार्ग	10.00	500.00	100
8. पत्ता	महाराजगंज से बिजावर व्हाया सिमरी मझगवां मार्ग	10.00	500.00	100
9. पत्ता	पिपरवाह से जैतपुरा तक मार्ग	5.40	270.00	100
10. श्योपुर	पिपरवास से बमनवास मार्ग	9.00	540.00	100
11. भोपाल	पिपलानी बी सेक्टर से खजूरी कला गांव बायपास तक मार्ग	3.62	376.84	100
12. पत्ता	सिमरिया से बिरासन मार्ग	6.00	300.00	100
13. पत्ता	टिकरिया से बुधरोड मार्ग	8.00	400.00	100
14. भोपाल	पुराने भोपाल के सिंधी कालोनी से धरमकाटा मार्ग	1.12	115.35	100
15. भोपाल	पुराने भोपाल के स्टेट बैंक चौराहे से शाहजहानाबाद तक मार्ग	1.10	119.06	100
16. भोपाल	रायसेन रोड से ट्रांसपोर्ट नगर होते हुये भानपुर ओवर हिंज तक मार्ग	14.25	720.00	100
17. भोपाल	रतनपुर से श्रीराम मंदिर से हरदौल बाबा तक मार्ग	2.00	100.00	100
18. छिंदवाड़ा	रजेगांव जाम सिमरिया मार्ग	9.00	156.69	100
19. रीवा	डहीया मैनरोड से शुक्लगंवा पंचायत भवन तक मार्ग	3.00	150.00	100
20. पत्ता	देवरीगढ़ी से लुहरगांव मार्ग	10.40	520.00	100
21. श्योपुर	जावदेश्वर से मेवाड़ा मार्ग	5.00	175.00	100
22. इंदौर	जानापांव पहुंच मार्ग	2.00	220.00	100
23. पत्ता	अमानगंज से गुन्हौर महेबा तक मार्ग	2.00	100.00	100
24. पत्ता	गुन्हौर अमानगंज पर 11 वे कि.मी. से महेबा सलेहा पवर्झ मार्ग के 26 वें कि.मी. तक मार्ग	11.50	575.00	100
25. भोपाल	ग्राम दीपड़ी से समरथा कालियासोत मार्ग का निर्माण	6.40	288.00	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 4

नाबाड़ ऋण सहायता अंतर्गत निम्नांकित ग्रामीण सड़क मार्गों का कार्य प्रस्तावित है:-

क्र. जिला	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी.)	लागत (लाख में)	अनुदान की राशि (रुपये में)
-----------	--------------	-------------------	-------------------	-------------------------------

1. मुरैना	कुथियाना से रहआपुरा व्हाया	4.50	197.11	100
-----------	----------------------------	------	--------	-----

पिपरीपुरा मार्ग				
2. होशंगाबाद	शिवनी बानापुरा के बीच सड़क चौड़ीकरण	5.00	250.00	100
3. नरसिंहपुर	पुरगवां से सिहोरा	3.00	376.21	100
4. रायसेन	बख्तरा से मनकापुर सड़क निर्माण	5.00	200.00	100
5. रायसेन	बख्तरा से लखनपुर मालझीर तक सड़क निर्माण	7.06	371.42	100
6. रायसेन	बख्तरा से अरका तक सड़क निर्माण	5.00	300.00	100
7. रायसेन	बख्तरा से मगरौल मार्ग का निर्माण	5.00	250.00	100
8. सतना	रा.ग. मार्ग सतना रीवा मुख्य सड़क से डिलोरा होते हुये मतहा तक सड़क निर्माण	2.50	125.00	100
9. सीहोर	ग्राम डोंगरी से बोरी तक सड़क एवं पुलिया का निर्माण	1.80	100.00	100
10. सीहोर	कोसमी से गेहूंखेड़ा से गौड़ीगरड़िया तक पहुंच मार्ग निर्माण	3.00	150.00	100
11. सीहोर	भड़कुल से जमनिया तक पहुंच मार्ग	6.50	378.00	100
12. सीहोर	मेनरोड़ बारधा जोड़ से बारधा तक एवं मेन रोड़ से पिपरिया तक पहुंच मार्ग	2.00	126.94	100
13. सीहोर	बोरधी से बोदराखेड़ी होते हुये नकरेला जोड़ तक पहुंच मार्ग निर्माण	1.50	165.38	100
14. सीहोर	गौड़ी गुरड़िया जमुनिया बाज्यात तक पहुंच मार्ग का निर्माण	2.50	240.31	100
15. सीहोर	ग्राम मोमरा में गुरु साहब आंतरिक मार्ग	2.50	143.33	100
16. सीहोर	ग्राम मठागांव से रानीकुण्डी मार्ग निर्माण	4.00	229.33	100
17. सीहोर	गादर से ईसरपुर पहुंच मार्ग निर्माण	2.50	118.28	100
18. सीहोर	नोनमेंट से टीकरी पहुंच मार्ग	3.00	195.64	100
19. सीहोर	बकतरा से दिगवाड़ अमझिर मार्ग का निर्माण	1.50	112.59	100
20. सीहोर	होलीपुर से टप्पर तक सड़क निर्माण	1.50	102.00	100
21. टीकमगढ़	निवाड़ी बायपास मार्ग का निर्माण	1.80	272.16	100
22. उज्जैन	बड़नगर बायपास मार्ग	7.00	1000.00	100
23. रायसेन	लाडली पुखरिया से उमरावगंज	5.50	200.50	100
24. रायसेन	आशापुरी खासरोद व्हाया सलकनी से वर्धमान फेकट्री के पास एन.एच. 12 तक मार्ग निर्माण	4.50	300.00	100
25. कटनी	कोडिया से चरगवां मार्ग	6.00	300.00	100
26. बैतूल	कुठकुही से झारकुण्ड मार्ग	7.30	290.62	100
27. इंदौर	खैमाना-आक्या-गोगाखेड़ी मार्ग	6.00	300.00	100
28. इंदौर	खजराना झलरिया रोड मदरसे से एम.आर. 10 तक मार्ग	1.50	120.00	100
29. बैतूल	ढोनखेड़ा सावंगी से गुणखेड़ मार्ग	6.00	240.00	100
30. बुरहानपुर	इच्छापुर से भोटा मार्ग लम्बाई 2.40 कि.मी. एवं इच्छादेवी पहुंच मार्ग लम्बाई 1.00 कि.मी.	3.40	204.00	100
31. इंदौर	बीजलपुर पहुंच मार्ग	8.00	400.00	100

32. हरदा	बारंगी-कमताड़ी-कमताड़ा-बीड़-	13.00	780.00	100
	रोलगांव मार्ग			
33. दतिया	बडोना कला पहुंच मार्ग	4.20	144.59	100
34. इंदौर	कंपल, उद्देल, सेमल्यारायमल,	12.00	600.00	100
	खराडिया, खंडेल मार्ग			
35. रायसेन	हिरानिया से टिगरिया मार्ग	4.50	275.00	100
36. गुना	सिरसी से सलोटा मार्ग	6.00	240.00	100
37. सिवनी	भामा से माहुलझिर मार्ग	3.00	150.00	100
38. मंदसौर	भोलिया से कुचडोद मार्ग	3.80	200.00	100
39. शिवपुरी	पोहरी विकासखण्ड अंतर्गत बीलवरा माता से बरेजा से गहलौती तक व्हाया खद होते हुये मार्ग	5.80	185.92	100
40. इंदौर	पुराने ए.बी. रोड तलावली चांदा मांगलिया से बायपास तक मार्ग	2.50	195.00	100
41. दतिया	उनाव सरसई मार्ग	7.00	575.28	100
42. रीवा	नईगढ़ी से अटारिया मार्ग	2.60	130.00	100
43. गुना	अमरांद से नौनेरा मार्ग	6.50	274.67	100
44. शिवपुरी	आमोलपठा से कुंडलपुर व्हाया शंकरगढ़ गणेशखेड़ा मार्ग	4.80	240.00	100
45. रायसेन	आमछा कला से उमरिया मार्ग	4.00	148.00	100
46. इंदौर	गोवर्धन गौशाला से हिंगोरिया जंक्शन तक मार्ग	3.40	115.00	100
47. रत्लाम	ग्राम खरुआकला में मार्ग निर्माण	3.00	180.00	100
48. खण्डवा	ग्राम पलसूद माल से मूंटी मार्ग	4.60	200.00	100
49. धार	ग्राम आवली से गिरवान्या पहुंच मार्ग	3.00	155.00	100
50. धार	ग्राम भीमपुरा से चिकली पहुंच मार्ग	3.00	165.00	100
51. गुना	ग्राम परवाह से पीपल्या तक मार्ग	3.50	121.02	100
52. मंदसौर	लामगरी से पटलावद मार्ग	6.00	300.00	100
53. बुरहानपुर	लोहरमण्डी से शहादरा लालबाग मार्ग	4.00	407.28	100
54. टीकमगढ़	चकरा से क्षिरकीबगरा सी.सी. मार्ग	3.00	300.00	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	25
मुख्य शीर्ष	2853

### मद क्रमांक 1

ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर के रूप में प्राप्त राशि रुपये 60754.93 लाख में से पूर्व में अंतरित राशि के अंतर की राशि रुपये 315.62 लाख खनिज अधिभार का रक्षित निधि में अंतरण किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,15,62,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	26
मुख्य शीर्ष	2205

### मद क्रमांक 1

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह के आयोजन हेतु अनुदान रुपये 250.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## **मद क्रमांक 2**

नगर पंचायत भानपुरा जिला मंदसौर को आद्य शंकराचार्य संस्कृति भवन के विकास कार्य हेतु अनुमानित लागत रुपये 50.00 लाख है, इस राशि की व्यवस्था विभाग उपलब्ध बजट की बचत से करेगा। यह कार्य अपरीक्षित नवीन मद के रूप में सम्मिलित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## **मद क्रमांक 3**

विश्व हिन्दी सम्मेलन वर्ष 2012-13 में आयोजित किया जाना है इस हेतु रुपये 2.00 करोड़ का व्यय अनुमानित है। यह कार्य नवीन मद के रूप में सम्मिलित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	27
मुख्य शीर्ष	2202

## **मद क्रमांक 1**

आपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना अंतर्गत वर्ष 1987-88 से 1993-94 तक चार चरणों में प्राप्त राशि रुपये 4595.93 लाख राज्य शासन को प्राप्त हुई थी। अव्ययित राशि में से शेष राशि रुपये 6,88,473 भारत सरकार को भुगतान किया जाना है। अवशेष राशि के भुगतान हेतु रुपये 4,81,784 का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,81,800 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4202
-------------	------

## **मद क्रमांक 2**

पी.एस.एम. परिसर जबलपुर की भूमि जिला न्यायालय जबलपुर को उपलब्ध कराने हेतु अतिक्रमण हटाये जाने के फलस्वरूप राशि रुपये 6.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	29
मुख्य शीर्ष	2014

## **मद क्रमांक 1**

माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधिपति हेतु वाहन एवं खण्डपीठ इंदौर एवं ग्वालियर के कार्यालयीन उपयोग हेतु एक-एक वाहन इस तरह कुल तीन वाहन क्रय किये जाने हेतु वर्ष के दौरान रुपये 21.00 लाख की राशि का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2052
-------------	------

## **मद क्रमांक 2**

मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अंतर्गत मकान किराया भत्ता के लिये वर्ष के दौरान रुपये 65,000 का व्यय होना संभावित है। आधिकरण की पूर्ति मांग संख्या-06 मुख्य शीर्ष 2070 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 65,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	30
मुख्य शीर्ष	2515

## **मद क्रमांक 1**

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा आयोजना के अंतर्गत मजदूरी मद हेतु रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	31
मुख्य शीर्ष	3454

### **मद क्रमांक 1**

यू.आई.डी.ए. के लिये प्रोत्साहन हेतु रुपये 1.00 करोड़ का प्रावधान तृतीय अनुपूरक अनुमान में किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	32
मुख्य शीर्ष	2015

### **मद क्रमांक 1**

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में वर्ष के दौरान राशि रुपये 83,000 लाख का अधिक व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 83,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2029
-------------	------

### **मद क्रमांक 2**

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में वर्ष के दौरान राशि रुपये 175.00 लाख का अधिक व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2040
-------------	------

### **मद क्रमांक 3**

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में वर्ष के दौरान राशि रुपये 4.52 लाख का अधिक व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,52,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2051
-------------	------

### **मद क्रमांक 4**

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में वर्ष के दौरान राशि रुपये 7.00 लाख का अधिक व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2052
-------------	------

### **मद क्रमांक 5**

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में वर्ष के दौरान राशि रुपये 88.00 लाख का अधिक व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 88,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2053
-------------	------

### **मद क्रमांक 6**

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में वर्ष के दौरान राशि रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2055
-------------	------

### **मद क्रमांक 7**

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में वर्ष के दौरान राशि रुपये 100.00 लाख का अधिक व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।





अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2852

### मद क्रमांक 26

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में वर्ष के दौरान राशि रुपये 37.00 लाख का अधिक व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 37,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3054

### मद क्रमांक 27

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में वर्ष के दौरान राशि रुपये 500.00 लाख का अधिक व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3475

### मद क्रमांक 28

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में वर्ष के दौरान राशि रुपये 10.00 लाख का अधिक व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 34

मुख्य शीर्ष 2235

### मद क्रमांक 1

सामाजिक न्याय अंतर्गत अंधे, बहरे तथा गूंगों के लिये शालायें तथा संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के बेतन हेतु मजदूरी मद में रुपये 12.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत संचालनालय एवं जिला कार्यालयों का कम्प्यूटराईजेशन, रख-रखाव एवं वेबसाइट के निर्माण हेतु रुपये 10.70 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 35

मुख्य शीर्ष 2235

### मद क्रमांक 1

पुनर्वास आयुक्त के लिये किराये पर वाहन लिया जाना है। इस हेतु वर्ष के दौरान रुपये 50,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 38

मुख्य शीर्ष 2210

### मद क्रमांक 1

आयुष विभाग के लिये 01 नवीन वाहन क्रय हेतु रुपये 6.00 लाख का व्यय संभावित है। राशि की व्यवस्था विभाग बचत से करेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 39

**मद क्रमांक 1**

खाद्य विभाग के अंतर्गत म.प्र. राज्य आपूर्ति निगम को शासन की वचनबद्धता पर बैंक से लिये गये कार्यशील ऋण पर ब्याज राशि का प्रदाय हेतु रुपये 15.18 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,18,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2408

**मद क्रमांक 2**

खाद्य विभाग के अंतर्गत म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 8.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये अन्नपूर्णा योजना हेतु रुपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

खाद्य विभाग अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न उपार्जन हेतु प्रोत्साहन हेतु रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

खाद्य विभाग अंतर्गत गेहूँ उपार्जन हेतु अस्थाई केप निर्माण में हुई हानि की क्षतिपूर्ति हेतु रुपये 6.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	41
मुख्य शीर्ष	2202

**मद क्रमांक 1**

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत छात्रों की शिष्यवृत्ति हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 44.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 44,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2215

**मद क्रमांक 2**

भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत विमुक्त की गई राशि से समतुल्य राज्यांश का व्यय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना हेतु केन्द्रांश के रूप में रुपये 692.00 लाख एवं राज्यांश के रूप में रुपये 692.00 लाख इस प्रकार कुल रुपये 1384.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,84,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

**मद क्रमांक 3**

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिये भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत वर्ष 2011-12 के लिये निर्धारित राशि में से एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में अधोसंरचना संबंधित विकास कार्यक्रम हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 1170.29 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,70,29,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2406

#### मद क्रमांक 4

भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के लिये रुपये 350.00 लाख की राशि विमुक्त की गई है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 350.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। इस हेतु रुपये 350.00 लाख का अग्रिम राज्य की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 3,50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

#### मद क्रमांक 5

आदिवासी क्षेत्रों में तहसील कार्यालय एवं संयुक्त जिला कार्यालय भवन के आधुनिकीकरण / निर्माण हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 60.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

#### मद क्रमांक 6

शहरी खेलकूद हेतु अधोसंरचना का निर्माण योजना अंतर्गत भारत सरकार युवा कार्यक्रम, खेल मंत्रालय द्वारा रानीताल खेल परिसर जबलपुर में सिस्टेटिक हाकी फील्ड निर्माण हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 73,48,600/- की राशि निर्गमित की गई है। इस हेतु केन्द्रांश के रूप में प्राप्त राशि रुपये 73,48,600/- का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 73,48,600/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215

#### मद क्रमांक 7

भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत विमुक्त की गई राशि से समतुल्य राज्यांश का व्यय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत 250 से कम आबादी वाले ग्राम और टोला क्षेत्रों में नलकूपों का खनन योजना हेतु केन्द्रांश के रूप में रुपये 905.26 लाख एवं राज्यांश के रूप में रुपये 905.26 लाख इस प्रकार कुल रुपये 1810.52 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,10,52,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4700

#### मद क्रमांक 8

ओंकारेश्वर परियोजना अंतर्गत कार्यरत अमलो के खेल प्रतियोगिता हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 18.14 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,14,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

#### मद क्रमांक 9

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्य अंतर्गत माही परियोजना ए.आई.बी.पी. मद से निर्माणाधीन है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 350.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

**मद क्रमांक 10**

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने एवं आदिवासी वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वीकृत सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्यों हेतु इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रूपये 200.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11**

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने एवं आदिवासी वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ए.आई.बी.पी. योजना अन्तर्गत निम्नांकित योजनाओं का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है:-

क्र.	योजना का नाम	जिला	विकास खंड	लागत (रु. लाखों में)
1.	देवगढ़ तालाब	शहडोल	गोहपारु	590.06
2.	बरगवान 18 तालाब	शहडोल	बुढार	1328.40
3.	मेहरो तालाब	शहडोल	बुढार	1697.91
4.	धमनी डायर्वर्शन योजना	शहडोल	सुहागपुर	336.36
5.	भैंसवाही सालिड वियर	डिण्डोरी	अमरपुर	189.10
6.	बांकटोला सालिड वियर	डिण्डोरी	अमरपुर	179.48
7.	भापसा सालिड वियर	डिण्डोरी	अमरपुर	173.99
8.	धनवासी सालिड वियर	डिण्डोरी	अमरपुर	174.50
9.	भरदावारा (आमनी) तालाब	डिण्डोरी	डिण्डोरी	698.39
10.	कुकर्हा तालाब	डिण्डोरी	मेहदवानी	986.23
11.	परसेल तालाब	डिण्डोरी	अमरपुर	283.49
12.	गोरखपुर तालाब	डिण्डोरी	डिण्डोरी	1423.93
13.	गोपालपुरा तालाब	डिण्डोरी	डिण्डोरी	1043.42
14.	रनगांव तालाब	डिण्डोरी	समनापुर	417.93
15.	गुण्डी सराई तालाब	डिण्डोरी	शहपुरा	323.27
16.	चन्दवाही तालाब	डिण्डोरी	शहपुरा	310.04
17.	बुचनाई तालाब	छिन्दवाड़ा	मोहखेड़	546.83
18.	बनकी तालाब	अनुपपूर	अनुपपूर	718.54
19.	पटपरिहा तालाब	उमरिया	पाली	616.16
20.	नन्दपुर तालाब	बुरहानपुर	खखनार	1152.90
21.	बैजलपुर तालाब	बालाघाट	बैहर	323.66
22.	कुदराई तालाब	बालाघाट	बिरसा	288.16
23.	परसाटोला तालाब	बालाघाट	बैहर	309.70
24.	पड़डीनाला तालाब	बालाघाट	बैहर	572.84
25.	झारा तालाब	बालाघाट	परसवाड़ा	537.17
26.	कमोदवारा तालाब	बड़वानी	सेंधवा	1934.75
27.	टोरी तालाब	बड़वानी	सेंधवा	3388.56

स्वीकृत सिंचाई योजनाओं तथा नवीन सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्यों हेतु इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रूपये 1450.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 14,50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 43  
मुख्य शीर्ष 2204

**मद क्रमांक 1**

युवा आयोग के गठन की अधिसूचना जारी होने से क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 5.00 लाख शामिल की जा रही है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

**मद क्रमांक 2**

ओल्ड कैम्पियन क्रिकेट मैदान में फलड लाईट की व्यवस्था किये जाने हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 5.00 करोड़ का व्यय संभावित है। यह व्यय नवीन मद के रूप में सम्मिलित किया गया है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

शहरी खेलकूद हेतु अधोसंरचना का निर्माण योजना अंतर्गत रानीताल खेल परिसर जबलपुर में सिन्थेटिक हाँकी फौल्ड निर्माण हेतु 75 प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में प्राप्त राशि रुपये 233.49 लाख का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,33,49,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 44  
मुख्य शीर्ष 2202

**मद क्रमांक 1**

स्वीकृत बजट 2011-12 की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 2011-12 में वेतन भत्तों में हुई वृद्धि के कारण रुपये 13.69 लाख का अधिक व्यय हुआ है। आधिक्य की पूर्ति मांग संख्या-06 मुख्य शीर्ष 2070 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,69,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 45  
मुख्य शीर्ष 4702

**मद क्रमांक 1**

गैर आदिवासी क्षेत्र की लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत निप्रांकित योजनाओं का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिसकी प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी:-

क्र.	योजना का नाम	जिला	लागत (लाख में)	सिंचाई क्षमता	अनुदान राशि (रुपये में)
------	--------------	------	-------------------	---------------	----------------------------

1.	मलाचुवां तालाब	उमरिया	2272.61	1152.00	100
2.	पारना तालाब	दमोह	2004.95	900.00	100
3.	अंजनडोह तालाब	बुरहानपुर	1376.88	694.00	100
4.	धामनगांव तालाब	बुरहानपुर	2207.64	1000.00	100
5.	इटारिया तालाब	बुरहानपुर	535.13	268.00	100
6.	समनेरा बैराज	उज्जैन	220.39	320.00	100
7.	रनचीखेड़ा बैराज	उज्जैन	162.52	148.00	100
8.	सेमलीकलां बैराज	सीहोर	198.88	220.00	100
9.	गजीखेड़ी बैराज	सीहोर	118.23	142.00	100
10.	मानपुरा बैराज	सीहोर	461.49	500.00	100
11.	रामदासी तालाब	सीहोर	501.33	260.00	100
12.	राजघाट बैराज	सीहोर	132.62	127.00	100

13. टुन्डवारा तालाब	छिंदवाड़ा	840.38	378.00	100
14. खजूरिया तालाब	सागर	332.14	190.00	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 2

गैर आदिवासी क्षेत्र की ए.आई.बी.पी. योजना अंतर्गत निम्नांकित 16 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है:-

क्र.	योजना का नाम	जिला	लागत (लाख में)	सिंचाई क्षमता (रुपये में)	अनुदान राशि
1.	केकाडिया खुर्द तालाब	गुना	499.50	264.00	100
2.	मंगरथा तालाब	गुना	711.78	410.00	100
3.	रिछाई तालाब	गुना	298.16	170.00	100
4.	रामजीधाना तालाब	बैतूल	298.16	170.00	100
5.	पंढरी तालाब	बैतूल	537.17	294.00	100
6.	शेरगढ़ तालाब	बैतूल	388.13	205.00	100
7.	मैंसूर बावड़ी तालाब	रायसेन	1334.07	715.00	100
8.	बरखेड़ा तालाब	अलिराजपुर	376.24	200.00	100
9.	अनास बैराज	झाबुआ	684.21	600.00	100
10.	धेबार तालाब	झाबुआ	121.67	182.00	100
11.	वनदेही तालाब	उमरिया	1647.52	855.00	100
12.	कोहका तालाब	उमरिया	672.62	314.00	100
13.	अमाडोंगरी तालाब	उमरिया	647.57	292.00	100
14.	घोघरी तालाब	उमरिया	705.22	408.00	100
15.	बोदली तालाब	उमरिया	481.50	286.00	100
16.	डेहरी तालाब	छिंदवाड़ा	399.90	200.00	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1600 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	47
मुख्य शीर्ष	2230

## मद क्रमांक 1-3

कौशल विकास संचालनालय अंतर्गत महंगाई भत्ते एवं विद्युत देयकों के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 33.32 लाख का व्यय संभावित है।

आधिक्य की पूर्ति मांग संख्या-06 मुख्य शीर्ष 2070 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 33,32,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 4

वोकेशनल ट्रनिंग इम्पूल्हमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से इंस्ट्रक्टर ट्रनिंग विंग की स्थापना हेतु राशि रुपये 20.55 लाख का प्रावधान केन्द्रांश के रूप में शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,55,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4202
-------------	------

## मद क्रमांक 5

इंदौर में आई.आई.टी. की स्थापना हेतु चयनित वन भूमि के व्यपर्वतन हेतु भूमि के नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि रुपये 500,80,000 एवं वैकल्पिक

वृक्षारोपण की राशि रुपये 5,69,47,649 के मुआवजें हेतु रुपये 1070.30 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,70,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 6**

शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय, टीकमगढ़ के मुख्य भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 20.00 लाख की आवश्यकता है। यह राशि विभागीय बजट की बचत से उपलब्ध की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	48
मुख्य शीर्ष	2801

#### **मद क्रमांक 1**

इंदिरा सागर केनाल पावर हाऊस के परिचालन एवं संधारण व्यय पर रुपये 1.45 करोड़ का व्यय होना संभावित है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4801
-------------	------

#### **मद क्रमांक 2**

नर्मदा विकास प्राधिकरण के लिये 04 वाहनों का क्रय लागत रुपये 25.75 लाख से किया जाना है। जिसकी प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 3**

न्यायालयीन निर्णय के अनुपालन स्वरूप डिक्रीधन के भुगतान हेतु राज्य की आकस्मिकता निधि से रुपये 65.22 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 65,22,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या	50
मुख्य शीर्ष	2401

#### **मद क्रमांक 1**

उद्यानिकी के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यों हेतु रुपये 30.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	52
मुख्य शीर्ष	2215

#### **मद क्रमांक 1**

भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत विमुक्त की गई राशि से समतुल्य राज्यांश का व्यय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संधारण हेतु केन्द्रांश के रूप में रुपये 42.30 लाख एवं राज्यांश के रूप में रुपये 42.30 लाख इस प्रकार कुल रुपये 84.60 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 84,60,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2225
-------------	------

#### **मद क्रमांक 2**

अनुसूचित जनजाति की छाताओं में अध्यापन के प्रति रुचि जागृत करने हेतु कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं (कक्षा छठी) योजना अंतर्गत

वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट प्रावधान के अतिरिक्त रूपये 15.76 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 15,76,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 3**

अनुसूचित जनजाति की छाताओं में अध्यापन के प्रति रुचि जागृत करने हेतु कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं (कक्षा नवमी एवं कक्षा चौथी) योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट प्रावधान के अतिरिक्त रूपये 31.44 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 31,44,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3604

### **मद क्रमांक 4**

स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन तथा स्थानीय निकायों को मूलभूत सुविधाओं हेतु एकमुश्त अनुदान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रूपये 929.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 9,29,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	53
मुख्य शीर्ष	2217

### **मद क्रमांक 1**

स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत भारत सरकार आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रूपये 794.74 लाख की राशि निर्गमित की गई है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में बजट में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रूपये 794.74 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 7,94,74,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	54
मुख्य शीर्ष	2415

### **मद क्रमांक 1**

संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश भोपाल के अंतर्गत जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को अनुदान हेतु रूपये 200.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	55
मुख्य शीर्ष	2235

### **मद क्रमांक 1**

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत विशेष सेवाओं के मानदेय के लिये भुगतान हेतु केन्द्रांश रूपये 15118.20 लाख तथा राज्यांश रूपये 1679.80 लाख कुल रूपये 16798.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 1,67,98,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 2**

लाड़ली लक्ष्मी योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता हेतु वर्ष के दौरान रूपये 54.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 54,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 3**

भारत सरकार द्वारा महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को द्रुतगति देने के उद्देश्य से राज्य महिला संसाधन केन्द्र अंतर्गत आर्थिक सहायता हेतु प्राप्त रूपये 16.38 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,38,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2236

#### **मद क्रमांक 4**

केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में विशेष पोषण हेतु राशन/भोजन का मूल्य के लिये राज्यांश 30.00 करोड़ एवं केन्द्रांश 30.00 करोड़ इस तरह कुल राशि रुपये 60.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	56
मुख्य शीर्ष	2851

#### **मद क्रमांक 1**

ग्रामोद्योग विभाग के अन्तर्गत पंचायतों के कर्तव्यों और कार्यक्रमों के विकेन्ट्रीकरण के लिए ग्रामोद्योग कार्यालय की स्थापना हेतु रुपये 52.11 लाख की आवश्यकता है। अधिक्य की पूर्ति मांग संख्या-06 मुख्य शीर्ष 2070 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 52,11,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	60
मुख्य शीर्ष	4515

#### **मद क्रमांक 1**

म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना हेतु रुपये 3.40 लाख का प्रावधान तृतीय अनुपूरक अनुमान में किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	63
मुख्य शीर्ष	2225

#### **मद क्रमांक 1**

अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत रुपये 10,62,06,800 के अतिरिक्त बजट प्रावधान की आवश्यकता है। इसमें भारत सरकार की 75 प्रतिशत की सहभागिता है। अतः केन्द्रांश रुपये 7,96,55,100 तथा राज्य सरकार के हिस्से की 25 प्रतिशत राशि रुपये 2,65,51,700 का प्रावधान प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,62,06,800 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	64
मुख्य शीर्ष	2210

#### **मद क्रमांक 1**

ग्राम धुंधड़का जिला मंदसौर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार पदों की स्वीकृति तथा अन्य व्यय हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

#### **मद क्रमांक 2**

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों में कृषकों को उन्नत बीज व्यवस्था हेतु भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत प्राप्त राशि रुपये 350.00 लाख के उपयोग हेतु प्रावधान किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति उपयोजना में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 350.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में तहसील कार्यालय एवं संयुक्त जिला कार्यालय भवन के आधुनिकीकरण / निर्माण हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 22.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

शहरी खेलकूद हेतु अधोसंरचना का निर्माण योजना अंतर्गत भारत सरकार युवा कार्यक्रम, खेल मंत्रालय द्वारा रानीताल खेल परिसर जबलपुर में स्थितिक हाकी फील्ड निर्माण हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 55,02,400/- की राशि निर्गमित की गई है। इस हेतु केन्द्रांश के रूप में प्राप्त राशि रुपये 55,02,400/- का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 55,02,400/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत विमुक्त की गई राशि से समतुल्य राज्यांश का व्यय किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना हेतु केन्द्रांश के रूप में रुपये 863.00 लाख एवं राज्यांश के रूप में रुपये 863.00 लाख इस प्रकार कुल रुपये 1726.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,26,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत विमुक्त की गई राशि से समतुल्य राज्यांश का व्यय किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत समस्यामूलक ग्रामों में पेय जल प्रदाय योजना हेतु केन्द्रांश के रूप में रुपये 276.70 लाख एवं राज्यांश के रूप में रुपये 276.70 लाख इस प्रकार कुल रुपये 553.40 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,53,40,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित पुलों का निर्माण कार्य अपरीक्षित मद के रूप में किया जाना प्रस्तावित है:-

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लागत (रु.लाख में)
1.	दमोह	ग्राम जेराढ में बेबस नदी पर पुल	350.00
2.	दमोह	वरखेडा गज में जूड़ी नदी पर पुल	305.00
3.	भिण्ड	सिमरउड कमई के मध्य क्वारी नदी पर पुल मय पहुच मार्ग	500.00

उपरोक्त कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 300.00 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित सड़कों का निर्माण कार्य अपरीक्षित मद के रूप में किया जाना प्रस्तावित है:-

क्र. जिला	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (रु.लाख में)
1. भिण्ड	रिछोली से ग्राम खरिका मार्ग	6.00	240.00
2. भिण्ड	दबोह जगदीशपुरा संशीगढ़ आलमपुर मार्ग	12.00	480.00
3. भिण्ड	लपवाहा हीरापुरा नकारा मार्ग	5.00	170.00
4. भिण्ड	अजनार से रोहनी सींगपुरा मार्ग	3.00	140.00
5. सागर	सिलोदा चांदपुर मुदडी मार्ग	4.00	200.00
6. शिवपुरी	करेरा भितरवार मार्ग से फूलपुर मार्ग	4.00	200.00
7. गुना	रामटेकरी से हुमराज	11.00	495.00
8. हरदा	तजपुर से भवरास मार्ग व्हाया जलौदा लधौरा	13.50	607.00
9. हरदा	खुटिया मोरगडी मार्ग	23.00	1035.00
10. हरदा	नया गांव से धोलपुर मार्ग	4.00	180.00
11. मंदसौर	लामगरी से पटलावद मार्ग	6.00	300.00
12. मंदसौर	भोलिया से कुचडोद मार्ग	3.80	200.00
13. मंदसौर	बरखेड़ा देव से काचरिया देव मनासा खुर्द	4.50	225.00

उपरोक्त कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 500.00 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	66
मुख्य शीर्ष	2225

### मद क्रमांक 1

अपलेखित वाहन के बदले नया वाहन क्रय किया जाना है। इसमें राशि रुपये 6.60 लाख का व्यय संभावित है। राशि की व्यवस्था विभाग बचत से करेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

पोष्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत रुपये 73.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 73,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

पोष्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में भारत सरकार के अंश अंतर्गत रुपये 27.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4 - 6

भोपाल स्थित पिछड़ा वर्ग राज्य सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के लिये राशि रुपये 39.99 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 39,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 7

स्व. श्री रामजी महाजन पुरस्कार समारोह आयोजन हेतु राशि रुपये 40.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

जिला स्तरीय बालक छात्रावासों का भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 5.60 करोड़ के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	67
मुख्य शीर्ष	2059

**मद क्रमांक 1**

साधारण मरम्मत योजनान्तर्गत रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजनार्थ राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2216
-------------	------

**मद क्रमांक 2**

साधारण मरम्मत योजनान्तर्गत राशि रुपये 15.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजनार्थ राशि रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	68
मुख्य शीर्ष	2217

**मद क्रमांक 1**

स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत भारत सरकार आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 161.78 लाख की राशि निर्गमित की गई है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में बजट में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 161.78 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,61,78,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	70
मुख्य शीर्ष	2203

**मद क्रमांक 1**

इंजीनियरिंग महाविद्यालय का विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम-द्वितीय अंतर्गत 25-75 प्रतिशत के आधार पर निम्नानुसार राशि की स्वीकृति प्राप्त हुआ है:-

1. एम.आई.टी.एस. ग्वालियर	116.00 लाख
2. एस.ए.टी.आई. विदिशा	116.00 लाख
3. सागर इंस्ट्रीट्यूट आफ रिसर्च टेक्नालांजी भोपाल	18.00 लाख
4. आर.जी.पी.व्ही. भोपाल	116.00
5. एस.जी.एस.आई.टी.एस. इंदौर	116.00 लाख

-----  
योग 482.00 लाख  
-----

उक्त प्राप्त राशि में से रुपये 202.50 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 67.50 लाख राज्यांश कुल राशि रुपये 270.00 लाख वर्ष 2011-12 के बजट में समायोजित करते हुये शेष राशि रुपये 279.50 लाख एवं समानुपातिक राज्यांश रुपये 93.20 लाख कुल राशि रुपये 372.70 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,72,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	72
-------------	----

**मद क्रमांक 1**

जीवन ज्योति कालोनी करोड़ में सड़कों का सुटूढ़ीकरण एवं उन्नतीकरण तथा आवासीय भवनों के रख-रखाव हेतु रुपये 209.87 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,09,87,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	73
मुख्य शीर्ष	2210

**मद क्रमांक 1**

केन्सर चिकित्सालय ग्वालियर को रुपये 55.00 लाख का अतिरिक्त अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 55,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2 - 4**

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत वेतन भत्ते, महंगाई भत्ता, ग्रेड-पे, कार्यभारित सेवा के कर्मचारियों का वेतन एवं सहायक अनुदान हेतु राशि रुपये 630.30 लाख के व्यय की संभावना है। आधिक्य की पूर्ति मांग संख्या-06 मुख्य शीर्ष 2070 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,30,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

भारत सरकार से प्राप्त राशि मे से अप्रयुक्त रही राशि की वापसी के लिये रुपये 847.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,47,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

जवाहर लाल नेहरू केन्सर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र भोपाल को रुपये 55.00 लाख का अतिरिक्त अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 55,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7 - 10**

चिकित्सा शिक्षा संचालनालय अंतर्गत वेतन, भत्ते मद में रुपये 56.56 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 56,56,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	74
मुख्य शीर्ष	3604

**मद क्रमांक 1**

स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान हेतु रुपये 2062.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,62,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

पंचायत विभाग अंतर्गत स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन तथा स्थानीय निकायों को मूलभूत सुविधाओं हेतु एकमुश्त अनुदान हेतु रुपये 3286.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 32,86,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	75
मुख्य शीर्ष	2217

**मद क्रमांक 1**

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत राज्यांश की राशि रुपये 230.36 लाख एवं केन्द्रांश की राशि रुपये 1903.02 लाख कुल राशि रुपये 2133.38 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,33,38,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2-3**

जल प्रदाय योजनाओं के लिये एकमुश्त केन्द्रीय सहायता हेतु राशि रुपये 7130.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 71,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

अर्बन स्टेटिक्स फॉर एच.आर.एण्ड एसेसमेंट हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि रुपये 74.00 लाख का व्यय होना संभावित है। उक्त प्रावधान नवीन मद खोला जाकर किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 74,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

भोपाल तथा विदिशा जिलों में फ्लाइ ओव्हर निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाना है। इस हेतु वृहद पुलों के निर्माण मद में विदिशा के लिये रुपये 1.50 करोड़ एवं भोपाल जिले के लिये रुपये 1.00 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	3604
-------------	------

**मद क्रमांक 6,10,14**

स्थानीय निकायों को मूलभूत सुविधा हेतु एक मुश्त अनुदान मद में राशि रुपये 825.00 लाख का आधिक्य व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7,11,15**

वाहनों पर कर से नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिये अनुदान हेतु राशि रुपये 429.50 लाख का आधिक्य व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,29,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8,12,16**

प्रवेश कर से नगरीय निकायों को हस्तांतरण हेतु राशि रुपये 2816.00 लाख का आधिक्य व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 28,16,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9,13,17**

वेटकर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों को हस्तांतरण हेतु रुपये 3423.00 लाख का आधिक्य व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 34,23,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 18**

पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार का नगरीय निकायों को हस्तांतरण हेतु रुपये 4065.31 लाख का आधिक्य व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,65,31,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या	77
मुख्य शीर्ष	2202

**मद क्रमांक 1**

सैनिक स्कूल रीवा को स्थाई संपत्तियों के अनुरक्षण हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 1.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

कक्षा 9 से 12 तक के छात-छाताओं को निःशुल्क पाठ्य सामग्री प्रदाय किये जाने हेतु राशि रुपये 6.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन हेतु रुपये 1711.00 लाख तृतीय अनुपूरक अनुमान हेतु सर्व शिक्षा अभियान के मांग संख्या 27 मुख्य शीर्ष 2202 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,11,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2204
-------------	------

**मद क्रमांक 4 - 8**

स्वीकृत बजट 2011-12 की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2011-12 में वेतन भत्तों में हुई वृद्धि के कारण रुपये 15.00 लाख का अधिक व्यय हुआ है। आधिक्य की पूर्ति मांग संख्या-06 मुख्य शीर्ष 2070 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9**

लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल द्वारा संचालित शासकीय आवासीय खेलकूद परिसर हेतु छातों की आवास व्यवस्था, भोजन, गणवेश आदि के लिये सामग्री क्रय करने हेतु राशि रुपये 18.31 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,31,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।